भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2263

जिसका उत्तर शुक्रवार, 31 जुलाई, 2026/9 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरकों की कालाबाजारी

2263. श्री रमाशंकर विद्यार्थी राजभर:
श्री उत्कर्ष वर्मा मधुर:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2021 से अब तक देश में राजसहायता प्राप्त उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी और अवैध निकासी के संबंध में देवरिया, बलिया सहित उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में राज्य/जिला और वर्ष-वार कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;
(ख) उर्वरक विभाग के साथ संयुक्त रूप से किए गए निरीक्षणों की संख्या कितनी है और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली या बिक्री प्वाइंट प्रमाणीकरण अंतराल के दुरुपयोग के मामलों में राज्य/जिला-वार कितना उर्वरक जब्त किया गया है;
(ग) उत्तर प्रदेश में ऐसे उल्लंघनों के लिए राज्य-वार और जिला-वार कितने लाइसेंसों को निलंबित/रद्द किया गया है और आवश्यक वस्तु अधिनियम अथवा उर्वरक नियंत्रण आदेश के अंतर्गत कितने लाइसेंस निलंबित/रद्द किए गए हैं और अभियोजन शुरू किया गया है; और
(घ) केन्द्र सरकार द्वारा रियायती दर पर राजसहायता प्राप्त उर्वरक वितरण में चोरी को रोकने और अंतिम जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए क्या सुधारात्मक प्रौद्योगिकीय और प्रवर्तन उपाय शुरू किए गए हैं?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): उत्तर प्रदेश राज्य सहित देश में उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक मौसम में उठाए जाने वाले कदम इस प्रकार हैं:

I. प्रत्येक फसल मौसम के शुरू होने से पहले, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएण्डएफडब्ल्यू), सभी राज्य सरकारों के परामर्श से, उर्वरकों की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता का आकलन करता है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा आकलित आवश्यकता के आधार पर, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करके राज्यों को उर्वरकों का यथेष्ट/पर्याप्त मात्रा में आवंटन करता है और उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है।

II. देश भर में सब्सिडी प्राप्त सभी प्रमुख उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) नामक एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है।

III. यूरिया और अन्य उर्वरकों की मांग (आवश्यकता) तथा उत्पादन के बीच के अंतर को आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है। समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु मौसम में किए जाने वाले आयात को भी पहले से ही अंतिम रूप दे दिया जाता है।

IV. राज्य सरकारों को नियमित रूप से सलाह दी जाती है कि वे समय पर मांगपत्र जारी करके आपूर्ति को सुव्यवस्थित करने के लिए उत्पादकों और आयातकों के साथ समन्वय स्थापित करें।

V. राज्यों के लिए पर्याप्त रेक देने, उर्वरकों को प्राथमिकता देने और रेकों की समय पर निकासी के लिए रेल मंत्रालय के साथ नियमित समन्वय बैठकें आयोजित की जाती हैं।

VI. राज्य के भीतर जिला/ब्लॉक स्तर पर उर्वरकों का वितरण संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

इसके अलावा, उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी, विपथन और अन्य कदाचारों जैसे मामलों का समाधान करने के लिए उर्वरकों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत एक आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित किया गया है और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के तहत अधिसूचित किया गया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के उपबंधों के अनुसार राज्य सरकारों को ऐसे कदाचारों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की पर्याप्त शक्तियां प्रदान की गई हैं। इन कदाचारों के संबंध में उर्वरक विभाग स्तर पर प्राप्त होने वाली कोई भी शिकायत आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के तहत उचित कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्य सरकार को भेजी जाती है। उर्वरकों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नामत: सीपी-ग्राम्स पोर्टल के माध्यम से उर्वरक विभाग में दिनांक 01.04.2021 से अब तक प्राप्त शिकायतों के बारे में राज्यवार जानकारी **अनुलग्नक-क** में दी गई है।

इसके अलावा, कृषि और किसान कल्याण विभाग कालाबाजारी, जमाखोरी, घटिया उर्वरक पाए जाने और विपथन संबंधी मामलों के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा की गई प्रवर्तन कार्रवाई की साप्ताहिक आधार पर नियमित रूप से राज्य सरकार के साथ परामर्श करके निगरानी कर रहा है। डीएएंडएफडब्ल्यू द्वारा दी गई सूचनानुसार, देश में, वित्त वर्ष 2025-26 में, 4,84,663 छापे मारे गए हैं जिनमें से चूककर्ताओं के खिलाफ 17,392 मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, 6,941 लाइसेंस निलंबित/रद्द कर दिए गए हैं और 847 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इन कदाचारों को रोकने के लिए वित्त वर्ष 2026-27 अर्थात दिनांक 01.04.2026 से 24.07.2026 तक 1,69,031 छापे मारे गए हैं जिनमें चूककर्ताओं के खिलाफ 9,127 मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, 2,868 लाइसेंस निलंबित/रद्द कर दिए गए हैं और 270 एफआईआर दर्ज की गई हैं; वित्त वर्ष 2026-27 में जब्त किए गए उर्वरकों की मात्रा के साथ प्रवर्तन कार्रवाई की राज्य-वार जानकारी **अनुलग्नक-ख** में दी गई है।

इसके अलावा, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने सूचित किया है कि यद्यपि उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985 के प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित कुछ मामले प्रवर्तन कार्रवाई के दौरान पाए गए हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों के दौरान देवरिया और बलिया जिलों में सब्सिडी वाले उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी या अवैध विपथन से संबंधित कोई विशिष्ट मामला राज्य कृषि विभाग के संज्ञान में नहीं आया है।

इसके अलावा, उर्वरकों की बिक्री के लिए डीबीटी प्रणाली के तहत, कालाबाजारी को रोकने के लिए सब्सिडी प्राप्त उर्वरकों की बिक्री लाभार्थी के 100% आधार आधारित प्रमाणीकरण द्वारा की जाती है। इसके अलावा, तेलंगाना को छोड़कर, जिसके लिए प्रति खरीदार प्रति एकड़ 2 बोरी (केवल यूरिया के लिए) की और जम्मू और कश्मीर के लिए प्रति मौसम प्रति खरीदार 60 बोरी की सीमा निर्धारित की गई है, उर्वरकों के एकसमान वितरण के लिए प्रति खरीदार प्रति माह 50 बोरी की मासिक सीमा तय की गई है। खरीद के आधार पर, संबंधित राज्य अधिकारियों द्वारा निगरानी के लिए आईएफएमएस डैशबोर्ड में विभिन्न रिपोर्टें उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके अलावा, 20 राज्यों के 40 चिन्हित जिलों में 'उर्वरक बिक्री के लिए रूपरेखा' के तहत, उर्वरक को भूमि क्षेत्र और बोई गई फसल के आधार पर आवश्यकता के अनुसार पहचान किए गए किसान को ही बेचा जा रहा है। संबंधित राज्यों द्वारा तय किए गए अनुसार 'उर्वरक बिक्री के लिए रूपरेखा' के तहत प्रायोगिक जिलों में बोरियों की उच्चतम सीमा अलग-अलग है।

अनुलग्नक

अनुलग्नक-क

यह अनुलग्नक दिनांक 31.07.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.2263 के उत्तर के भाग (क) से (घ) से संबंधित है।

दिनांक 01.04.2021 से प्राप्त शिकायतों का विवरण

क्र.सं.	**राज्य**	**शिकायतों की संख्या**
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1
2	आंध्र प्रदेश	14
3	असम	2
4	बिहार	86
5	छत्तीसगढ	18
6	दिल्ली	6
7	गुजरात	15
8	हरियाणा	36
9	जम्मू और कश्मीर	5
10	झारखंड	5
11	कर्नाटक	21
12	केरलम	3
13	मध्य प्रदेश	39
14	महाराष्ट्र	17
15	मणिपुर	1
16	मिजोरम	3
17	ओडिशा	8
18	पंजाब	25
19	राजस्थान	41
20	तमिलनाडु	14
21	तेलंगाना	6
22	उत्तर प्रदेश	227
23	उत्तराखंड	4
24	पश्चिम बंगाल	14
	कुल योग	**611**

अनुलग्नक

अनुलग्नक -ख

यह अनुलग्नक दिनांक 31.07.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.2263 के उत्तर के भाग (क) से (घ) से संबंधित है।

खरीफ़ मौसम 2026 के दौरान (01.04.2026 से 24.07.2026 तक) कालाबाजारी, जमाखोरी, विपथन को रोकने और गुणवत्ता की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई

		कालाबाजारी			जमाखोरी			घटिया गुणवत्ता			विपथन			जब्त की गई माल की मात्रा (बोरी संबंधी)	कुल		
राज्य	निरीक्षण/छापों की संख्या	जारी किए गए कारण बताओ नोटिस	रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या	पंजीकृत एफआरआई	जारी किए गए कारण बताओ नोटिस	रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या	पंजीकृत एफआरआई	जारी किए गए कारण बताओ नोटिस	रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या	पंजीकृत एफआरआई	जारी किए गए कारण बताओ नोटिस	रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या	पंजीकृत एफआरआई		जारी किए गए कारण बताओ नोटिस	रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या	पंजीकृत एफआरआई
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
आंध्र प्रदेश	5270	4	4	0	94	66	4	37	0	0	0	0	0	0	135	70	4
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
असम	3204	6	0	0	6	0	0	0	0	0	4	4	0	0	16	4	0
बिहार	15074	652	627	57	1	149	15	0	0	0	0	0	0	0	653	776	72
छतीसगढ़	5143	209	48	5	34	9	2	63	0	1	0	0	1	30029	306	57	9
दादर और नगर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दिल्ली	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
गोवा	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
गुजरात	7563	39	0	1	4	3	0	17	0	8	1	0	5	0	61	3	14
हरियाणा	494	8	7	0	22	31	6	9	6	0	3	6	2	0	42	50	8
हिमाचल प्रदेश	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
जम्मू और कश्मीर	9147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1562	0	0	1
झारखंड	633	10	0	0	25	2	0	0	0	0	0	0	1	0	35	2	1
कर्नाटक	15702	2132	2	0	0	0	0	76	0	0	5	0	6	4208	2213	2	6
केरल	630	0	0	0	0	0	0	6	0	0	2	0	0	2202	8	0	0
मध्य प्रदेश	1021	0	0	4	0	0	0	0	0	9	23	22	0	0	23	22	13
महाराष्ट्र	40574	850	575	17	728	222	1	563	426	39	16	20	7	0	2157	1243	64
मणिपुर	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मेघालय	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मिजोरम	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
नागालैंड	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ओडिशा	9716	0	2	0	0	0	1	4	2	0	0	0	0	120	4	4	1
पुडुचेरी	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
पंजाब	1859	10	0	0	0	0	0	51	7	4	49	0	8	0	110	7	12
राजस्थान	8280	712	20	1	139	28	3	121	0	1	167	1	6	4288	1139	49	11
तमिलनाडु	5377	0	0	0	138	0	6	221	0	0	118	0	2	0	477	0	8
तेलंगाना	11658	28	9	6	0	0	0	0	2	0	3	2	1	0	31	13	7
त्रिपुरा	964	0	0	0	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165	0	0
उत्तर प्रदेश	9896	1092	363	25	46	58	2	87	69	5	23	58	6	3826	1248	548	38
उत्तराखंड	351	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
पश्चिम बंगाल	15601	5	2	0	264	16	0	35	0	0	0	0	0	0	304	18	0
कुल	169031	5757	165	117	1666	584	40	1290	512	67	414	113	46	46235	9127	2868	270